

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- 1139 / FP/UK/ROAD/21726/2016 देहरादून: दिनांक: 27 सितम्बर, 2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः— जनपद—टिहरी गढ़वाल, के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत ढांगधार—थौलधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.9925 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
FP/UK/ROAD/21726/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की मूल प्रति इस कार्यालय के पत्रांक— 1067 दिनांक—20-09-2017 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः जनहित में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

VN
(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या 1139 / FP/UK/ROAD/21726/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर—मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
5. जिलाधिकारी, जनपद—टिहरी गढ़वाल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, टिहरी।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोनिवारा, चम्बा।

VN
(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-टिहरी गढ़वाल, के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत ढांगधार-थौलधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.9925 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। FP/UK/ROAD/21726/2016

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु टिहरी वन प्रभाग में 2.9925 है० आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती, द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनपद-टिहरी गढ़वाल, के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत ढांगधार-थौलधार मोटर मार्ग के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (विनोद कुमार भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं चौड़ल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 27 / 09 / 2017

स्थान : देहरादून

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक—[०६७]/FP/UK/ROAD/21726/2015:देहरादून:दिनांक: २० सितम्बर, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
केन्द्रीय कार्यालय—25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः—जनपद टिहरी में ढांगधार—थौलधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.9925 है ० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों
हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाइन फाईल संख्या—FP/UK/ROAD/21726/2015)

संदर्भः—भारत सरकार की पत्र संख्या—Misc/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06—11—2015.

महोदय,

भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव
की हार्ड कापी की मूल प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रति मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा
रही है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार
करने का कष्ट करें।

संलग्नः—यथोपरि।

भवदीय,

विनोद कुमार
(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या १०६७/FP/UK/ROAD/21726/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभारी सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विनोद कुमार
(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी